वित्त मंत्रालय

राजस्व आसूचना निदेशालय ने लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य की 1.5 किलोग्राम से भी अधिक कोकीन जब्त की, एक नाइजीरियाई नागरिक सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 22 MAR 2024 6:03PM by PIB Delhi

नशीली दवाओं की तस्करी पर अपना शिकंजा कसने का सिलसिला जारी रखते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और आज नई दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य की 1.59 किलोग्राम (कुल भार) कोकीन जब्त की। यह गिरोह भारत-नेपाल सीमा के रास्ते अफ्रीका से भारत में नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों (एनडीपीएस) की तस्करी में लिप्त है।

विशिष्ट खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक भारतीय नागरिक, जो 22.03.2024 की सुबह बिहार के रक्सौल से एक ट्रेन में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, को वहां रोक लिया गया और सफेद पाउडर जैसे पदार्थ वाले हल्के पीले रंग के 92 कैप्सूल उससे बरामद किए गए। एनडीपीएस की फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके किए गए नमूना परीक्षण से बरामद पदार्थ में कोकीन की मौजूदगी की पुष्टि हुई।

उस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने से पता चला कि यह खेप द्वारका, नई दिल्ली में एक व्यक्ति को दी जानी थी। बड़ी तेजी से की गई आगे की कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक नाइजीरियाई नागरिक को रोका गया, जो नई दिल्ली के द्वारका में 'एनडीपीएस' की डिलीवरी लेने के लिए स्कूटी पर आया था।

तस्करी के इस मामले में यह गिरोह अफ्रीकी देशों से सीधे या हवाई मार्ग से दुबई के रास्ते नेपाल के काठमांडू में ट्रॉली बैग में छिपाकर या शरीर में कैप्सूल डालकर प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी का काम करता था। इसके बाद इस गिरोह ने भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल किया जिन्होंने नई दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरी, ताकि काठमांडू के विभिन्न होटलों सहित पूर्व-निर्धारित स्थानों से प्रतिबंधित

सामग्री एकत्र की जा सके और फिर भारत-नेपाल सीमा के पार उसकी तस्करी की जा सके। इसके बाद संबंधित वाहक सड़क मार्ग या ट्रेन के जरिए इस खेप को नई दिल्ली ले आएगा।

1.59 किलोग्राम (कुल भार) के 92 कैप्सूलों में छिपाई गई इस बरामद कोकीन, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है, को जब्त कर लिया गया और संबंधित वाहक एवं प्राप्तकर्ता दोनों को ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आगे जांच जारी है।

***

एमजी/एआर/आरआरएस/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2016155) आगंतुक पटल : 303

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Gujarati , Tamil